प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय

दिनांक–23.02.2023 (सं0–128)

बिहार पुलिस के कल्याण के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय प्रशासी समिति की बैठक का निर्णय

- केन्द्रीय प्रशासी समिति की बैठक में पुलिसकर्मियों के विभिन्न कल्याण की योजनाओं की राशि **दोगुनी** करने का निर्णय लिया गया है।
- बिहार पुलिस शिक्षा कोष से पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के आश्रितों को शिक्षा हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मिलने वाली अनुदान राशि यथा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 3,600 रु0 से बढ़ाकर 7,200 रु0, एम0बी0ए0 के लिए 20,000 रु0 से बढ़ाकर 40,000 रु0, बी0टेक के लिए 20,000 रु0 से बढ़ाकर 40,000 रु0 तथा आइ0आइ0टी के लिए 24,000 रु0 से बढ़ाकर 48,000 रु0 भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। बिहार पुलिस शिक्षा कोष से सभी 28 पाठ्यक्रमों की अनुदान राशि **दोगुनी** कर दी गयी है।
- पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष से कर्मियों तथा उनके आश्रितों को विभिन्न रोगों की चिकित्सा हेतु मिलने वाली अनुदान राशि यथा कैंसर रोग के लिए 50,000 रु0 से बढ़ाकर 1,00,000 रु0, ओपेन हर्ट सर्जरी के लिए 50,000 रु0 से बढ़ाकर 1,00,000 रु0, किडनी प्रत्यारोपण के लिए 50,000 रु0 से बढ़ाकर 1,00,000 रु0 एवं ब्रेन ऑपरेशन के लिए 50,000 रु0 से बढ़ाकर 1,00,000 रु0 का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष से 43 रोगों की चिकित्सा के लिए अनुदान राशि **दोगुनी** कर दी गयी है।
- उक्त बैठक के अन्य निर्णय इस प्रकार हैं:–

1. पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष से विशेष परिस्थिति में 24 पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को कुल राशि 4,10,000 रुपये अनुदान स्वीकृत कर भुगतान की गयी राशि को अनुमोदित किया गया।
2. पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष से 60 आवेदनों को स्वीकृत कर 7,40,000 रुपये राशि का भुगतान स्वीकृत किया गया।
3. बिहार पुलिस परोपकारी कोष से सहायता अनुदान राशि को दोगुना करते हुये मृतक पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के प्रथम आश्रित को मिलने वाली 12,000 रुपये की वार्षिक अनुदान राशि को बढ़ाकर 24,000 रुपये वार्षिक भुगतान किये जाने का सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया है। इस हेतु 31 आवेदनों को स्वीकृत कर अनुदान राशि 2,54,500 रुपये स्वीकृत किया गया। यह लाभ मृतक के आश्रितों को मृत्यु की तिथि से अगले 20 वर्षों तक देय होगा।
4. बिहार पुलिस शिक्षा कोष से सहायता अनुदान हेतु 390 आवेदनों को स्वीकृत कर 35,74,800 रुपये भुगतान करने की अनुशंसा की गयी।
5. कर्तव्य के दौरान उग्रवादी/संगठित अपराधी गिरोहों से मुठभेड़ में शहीद कर्मियों के आश्रितों को परोपकारी कोष से 2,00,000 (दो लाख) रुपये एक मुश्त शहीद सम्मान राशि भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

इसका विस्तृत विवरण बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

Link- http://police.bihar.gov.in/ORDERS-2023/248-FIN-2.pdf